प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 04.08.2026

पु लस अधीक्षक भदोही श्री अ भनव त्यागी द्वारा अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर कया गया रवाना, सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को मलेगी नई मजबूती

जनपद में सड़क सुरक्षा को और अ धक सु ढ़ बनाने, यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आधुनिक तकनीक आधारित स्मार्ट पु ल संग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पु लस अधीक्षक भदोही *श्री अ भनव त्यागी* द्वारा आज पु लस अधीक्षक कार्यालय, भदोही से अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कया गया। उक्त इंटरसेप्टर वाहन आधुनिक स्पीड लेजर गन, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा, नाइट वजन कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR), वी डयो रिकॉ र्डंग सस्टम, पब्लिक एड्रेस सस्टम (PA System), ब्रेथ एनालाइज़र, अल्कोहल मीटर, लाल-नीली चेतावनी बत्ती एवं हूटर सहित व भन्न अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। इन तकनीकों के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन इंटरसेप्टर वाहनों का उपयोग जनपद के प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, नगर क्षेत्र तथा संवेदनशील स्थानों पर ओवरस्पी डंग, ड्रंक एंड ड्राइव (शराब पीकर वाहन चलाना), रैश एवं स्टंट ड्राइ वंग, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषणकारी वाहनों तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के वरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई हेतु कया जाएगा। साथ ही Zero Fatality District (ZFD) अ भयान के अंतर्गत गोपीगंज, औराई एवं भदोही क्षेत्र सहित दुर्घटना संभा वत स्थलों पर वशेष प्रवर्तन अ भयान संचा लत कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने तथा सुर क्षत एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य कया जाएगा। इस अवसर पर पु लस अधीक्षक भदोही श्री अ भनव त्यागी ने संबं धत अ धकारियों एवं कर्मचारियों को निर्दे शत कया क इंटरसेप्टर वाहनों का संचालन पूर्ण पारद र्शता एवं दक्षता के साथ कया जाए तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के वरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आमजन को यातायात नियमों के पालन के लए जागरूक भी कया जाए। कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रभारी सहित यातायात शाखा के समस्त अ धकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

भदोही पु लस आमजन से अपील करती है क निर्धारित गति सीमा का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें तथा सुर क्षत एवं जिम्मेदार यातायात व्यवस्था के निर्माण में पु लस का सहयोग करें।